UPKR010019002026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–147/2026

राजू

बनाम

राज्य आदि।

27–06–2026

1–पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 4अ पर सुना।

2–आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4अ इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त है। प्रार्थी के अतिरिक्त प्रार्थी के पिता श्री हरी सिंह प्रार्थी का भाई नीरज प्रार्थी के ताऊ उभन सिंह उर्फ उमन सिंह भी उक्त मुकदमा में सह अभियुक्त है। मुकदमा उपरोक्त पूर्व में श्रीमान स्पेशल जज एस०सी० एस०टी० एक्ट के न्यायालय में विचाराधीन था जो कि दिनांक 18.4.2025 को श्रीमान ए०एस०जे०/एफ०टी०सी०–2 के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त मुकदमा का क्रॉस केस राज्य बनाम नाहर सिंह आदि द्वारा धारा 147, 323, 325 आई०पी०सी० थाना सोरो जनपद कासगंज अ० संख्या–250/2017 केस नंबर 1278/2021 जिसमें प्रार्थी वादी है उक्त क्रॉस केस उक्त मुकदमा के साथ–साथ विचरण हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सी०जे०एम० कासगंज ने दिनांक 02.09.2025 को सेशन सुपुर्द कर दिया। यह कि उक्त क्रॉस केस के सेशन सुपुर्द किए जाने के आदेश दिनांक 02.09.2025 के विरुद्ध विपक्षी/अभियुक्त भरे द्वारा न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की कि उक्त मुकदमा क्रॉस केस नहीं है और सेशन सुपुर्द किये जाने का गलत आदेश पारित किया है। उक्त निगरानी संख्या 178/25 भूरे बनाम राज्य न्यायालय स्पेशल जज एस०सी० एस०टी० द्वारा सुनवाई किए जाने के बाद दिनांक 24.3.2026 को निरस्त कर दी गई। उक्त दोनों मुकदमों का विचारण साथ–साथ चल रहा था इसी दौरान उक्त पत्रावलियां न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई। उक्त पत्रावली में नियत दिनांक पर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में पुकार पर उपस्थित हुआ तथा विचारण न्यायालय को उक्त दोनों मुकदमों के बारे में अवगत कराया। न्यायालय एफ०टी०सी० द्वितीय ने दोनों मुकदमों को एक दूसरे का क्रॉस केस मानने से इनकार कर दिया और मुकदमों को अलग कर दिया। उक्त क्रोस केस राज्य बना भूरे सिंह आदि के अभियुक्त भूरे द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी भी न्यायालय द्वारा कर दी गई क्रॉस केस के तथा कथित आपत्ति को निगरानी में निर्णित किया जा चुका है। उक्त मुकदमा में नितय दिनांक 28.04.2026 को न्यायालय एफ०टी०सी० द्वितीय के पीठासीन द्वारा हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया काफी अपमानित शब्द कहते हुए धमकी दी और अनुचित व्यवहार किया विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के अधिवक्ता के साथ अभद्र एवं

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.06.27 17:50:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपमानित व्यवहार के साथ–साथ जबरन बहस किए जाने का दबाव बनाया। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के द्वारा किए गए अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार से काफी व्यथित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं तथा न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के व्यवहार से प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी की उक्त पत्रावली न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय, कासगंज के न्यायालय से विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर पत्रावली न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय कासगंज के न्यायालय से स्थानांतरित की जाकर विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में भेजे जाने की याचना की गयी है।

3– न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं०–2 कासगंज से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त राजू द्वारा अंतर्गत धारा–448 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत टी०ए० प्रार्थना–पत्र दिनांकित 19.05. 2026 के बाबत इस न्यायालय द्वारा मांगी गयी आख्या निम्नवत् है:–उपरोक्त वर्णित सत्र परीक्षण संख्या–217/2017, उ०प्र० राज्य बनाम् उभन सिंह उर्फ ऊमन सिंह आदि, मु0अ0सं0–251/2017, अंतर्गत धारा–323, 504, 506, 304 भा०दं०सं०, थाना–सोरों, जनपद–कासगंज की पत्रावली माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.04.2026 के अनुपालन में न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कासगंज के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुई है, जो कि बहस हेतु दिनॉक 28.04.2026 को इस न्यायालय में प्रथम तिथि नियत थी। दिनाँक 28.04.2026 को न्यायालय में प्रथम नियत तिथि पर लंच बाद पेश हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अंकित अग्रवाल उपस्थित हुए। आरोपी अभियुक्तगण हरी सिंह व नीरज मय विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह लंच बाद न्यायालय में उपस्थित आये। अभि०गण राजू व अमन सिंह की हाजिरी माफी प्रा०पत्र संख्या 59ब लंच पश्चात् एक अन्य प्रा०पत्र अभि० अमन सिंह, पृथक प्रार्थना–पत्र राजू एवं अमन सिंह की ओर से श्री शैलेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी जरिए अधिवक्ता स्वीकार कर अभि०गण व्यक्तिगत हाजिरी माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य होने का कथन आदेश पत्र में उल्लिखित करते हुए तथा न्यायालय में उपस्थित विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर आयी है और पहली तिथि है, बहस तैयार करने हेतु समय प्रदान करने की याचना करने पर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–323 सी०आर०पी०सी० किया जा सकता है। पत्रावली एस०सी० नं0–893/2025 राज्य बनाम् नहार सिंह उर्फ भूरे आदि की पत्रावली पृथक की जाती है। पत्रावली में दिनांक 27.05.2026 वास्ते बहस नियत की गयी। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त आदेश–पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ इस आख्या के साथ प्रेषित है। टी०ए० प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह उल्लिखित किये जाने का प्रश्न है, कि उपरोक्त प्रकरण में नियत दिनोंक 28.04.2026 को इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हाजिरी माफी के प्रार्थना–पत्र को लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया, काफी अपमानित शब्द कहते हुए धमकी दी और अनुचित व्यवहार किया व जबरन बहस किये जाने का दवाब बनाया, उपरोक्त लगाये गये आक्षेप सरासर गलत, मिथ्या, आधारहीन तथा किसी दुर्भावना से ग्रसित होना प्रथम

दृष्टया प्रतीत होते हैं। यदि उपरोक्त पत्रावली इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार एवं दबाव बनाने के आरोप लगाये गये हैं, किन्तु उक्त आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है। मात्र आरोप के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विचारण न्यायालय निष्पक्ष रूप से कार्य करने में असमर्थ है।

विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को पृथक किये जाने अथवा किसी प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय पक्षकार के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। न्यायिक कार्यवाही में न्यायालय को विधि अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है तथा प्रत्येक प्रतिकूल आदेश को पक्षपात का आधार नहीं माना जा सकता। न्यायालय इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखता है कि संबंधित विचारण न्यायालय ने अपनी आख्या में पत्रावली स्थानांतरित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की है, किन्तु स्थानान्तरण केवल सहमति के आधार पर नहीं बल्कि न्यायहित एवं निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना होता है।

अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पत्रावलियों को पृथक किये जाने का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के दौरान उपलब्ध अभिलेख एवं परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश से असहमति व्यक्त की गयी है, किन्तु मात्र न्यायालय द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से असहमति अथवा प्रतिकूल आदेश स्थानान्तरण का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। उक्त कार्यवाही को दुर्भावना अथवा पक्षपातपूर्ण आचरण का परिणाम दर्शाने हेतु कोई ठोस सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः पत्रावली पृथक किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का भाग है और इसे स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जा सकता।

अभिलेखों के समग्र परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय एवं विधिसम्मत आधार प्रदर्शित नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं०-2, कासगंज से निष्पक्ष विचारण की संभावना प्रभावित होगी। आवेदक की आशंका केवल व्यक्तिपरक है, जिसका समर्थन किसी स्वतंत्र सामग्री से नहीं होता। अतः न्यायहित में पत्रावली स्थानांतरित किया जाना आवश्यक नहीं पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं०-4अ निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्रावली का विचारण विधि के अनुसार निष्पक्ष रूप से एवं अनावश्यक विलम्ब के बिना सम्पन्न करे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
आई.डी.नम्बर यू.पी.6537

Steno–Himanshu Kumar